पर्यटन उद्योग को विकसित करने के लिए कानून बनाएगी सरकार

कैबिनेट ने पर्यटन नीति को दी मंजूरी, राज्य में टूरिज्म सिक्यूरिटी फोर्स का होगा गठन

राज्य ब्यूरो, रांची : राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार कानून भी बनाएगी। शीघ्र ही विधानसभा में 'टूरिज्म ट्रेड फैसिलेशन बिल' लाया जाएगा। इस कानून के लागू होने से राज्य के सभी होटल, एडवेंचर टूरिज्म आदि रेगुलेट होंगे। राज्य सरकार ने 'पर्यटन नीति' में इसका प्रावधान किया है। मंगलवार को कैबिनेट ने इस नीति को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। कैबिनेट की बैठक के बाद इसमें लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए विभाग के प्रधान सचिव एसके सतपथी ने कहा कि इसमें कुल बारह प्रस्तावों पर स्वीकृति मिली है, जिसमें पर्यटन नीति प्रमुख है। इस नीति में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जहां तमाम प्रकार के उपाय सुझाए गए हैं वहीं राज्य सरकार द्वारा किए जानेवाले कार्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसमें पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करनेवाले निजी क्षेत्रों को तमाम प्रकार की वित्तीय सहायता, कर्ज में सब्सिडी, टैक्स में छूट तथा आवश्यक जरूरी सुविधाएं जैसे जमीन, बिजली, पानी आदि देने का प्रावधान किया गया है। वित्तीय सहायता में एससी, एसटी, महिलाओं व निशक्तों को प्राथमिकता दी जाएगी। नीति में पर्यटन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए टूरिज्म सिक्यूरिटी फोर्स के गठन की भी बात कही गई है। पर्यटन क्षेत्र की मानीटरिंग के लिए उच्चस्तरीय बोर्ड गठित करने का भी उल्लेख है। अभी इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में टूरिज्म प्रमोशन कौंसिल गठित है, जिसका स्थान बोर्ड लेगा। नीति में पारसनाथ, देवघर, रजरप्पा आदि बड़े पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए अलग से प्राधिकार गठित करने का भी प्रावधान है। इन प्राधिकारों को कई शक्तियां सौंपी जाएंगी। नीति में आसपास के राज्यों के पर्यटन केंद्रों का सर्किट विकसित करने पर भी जोर दिया गया है।

आइटीआरएचडी करेगा मलूटी का संवर्द्धन : राज्य सरकार दुमका स्थित मंदिरों के समूह मलूटी का पुनरुद्धार व संवर्द्धन करेगी। इसकी जिम्मेदारी इंडियन ट्रस्ट फार रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट (आइटीआरएचडी) को दी गई है। कैबिनेट ने नोमिनेशन के आधार पर इसकी जिम्मेदारी इस ट्रस्ट को देने पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। दिल्ली स्थित यह संस्था कई राज्यों में हेरिटेज का संवर्द्धन कर रही है। इसमें प्रसार भारती भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड सरकार की झांकी में मलूटी मंदिरों को दर्शाया गया था। इसके बाद 'दैनिक जागरण' ने मंदिर के गांव की दुर्दशा का मामला प्रमुखता से उठाया था। इसपर संज्ञान लेते हुए सरकार

कैबिनेट के फैसले

- पर्यटन क्षेत्र में आनेवाले निजी क्षेत्रों को वित्तीय सहायता
- पहली बार उच्चस्तरीय पर्यटन बोर्ड का भी होगा गठन

बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य

आधार आधारित बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली नियमावली गठित कर दी गई है। इसके लागू होने के बाद इस प्रणाली से उपस्थिति बनाना सभी कर्मियों के लिए अनिवार्य हो जाएगा। वेतन को भी इससे लिंक किया जाएगा। इस प्रणाली में उपस्थिति के आधार पर किसी सरकारी सेवक को वेतन मिलेगा।

अन्य निर्णय

- औद्योगिक घराने अब सीएसआर फंड से आइटीआइ भी चला सकेंगे।
- बरही के गोरियाकरमा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के लिए 1000 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को निशुल्क देने का निर्णय। गौरतलब है कि इसके शिलान्यास की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे।
- रांची के नामकोम में खरसीदाग तथा चान्हो के बलसुकरा में पुलिस पोस्ट का निर्माण होगा।
- स्पेशल आवजलरी पुलिस के तमाम पदों के मानदेय में बढ़ोतरी। इसमें सूबेदार, चालक आदि भी शामिल हैं।
- राज्य वित्त आयोग के लिए पंद्रह पदों की स्वीकृति। इसमें वित्तीय सलाहकार, लेखा पदाधिकारी, निजी सहायक आदि पद शामिल हैं।

पर्यटन नीति में खास बातें

- पर्यटन केंद्रों से संबंधित सारी सूचनाएं आम नागरिकों के लिए आनलाइन की जाएंगी।
- सुरक्षा में स्थानीय लोगों की सहभागिता ली जाएगी।
- सरकार पर्यटन केंद्रों के पास लैंड बैंक चिह्नित करेगी वहां के संसाधनों का डाटा तैयार होगा।
- राज्य के विभिन्न विभागों के गेस्ट हाउस का कॉमन पोर्टल होगा। पर्यटकों के लिए ये सुलभ होंगे।
- पर्यटन के विकास में सरकार फैसिलेटर की भूमिका निभाएगी।
- पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत तमाम प्रकार के मानव संसाधन को सरकार प्रशिक्षित कराएगी।
- झारखंड पर्यटन विकास निगम का पुनरुद्धार होगा। इसकी शक्तियां बढ़ाई जाएंगी।

आदिम जनजाति बटालियन का गठन : स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन का नाम बदलकर स्पेशल इंडियन आदिम जनजाति बटालियन किया गया। इस बटालियन में 1107 पद हैं, जिनमें कांस्टेबल के पद केवल आदिम जनजाति के युवाओं से भरे जाएंगे। इसके लिए किसी आदिम जनजाति को केवल सातवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। शारीरिक योग्यता में भी आदिम जनजातियों को छूट दी गई है।

मोटरयान निरीक्षक नियुक्ति में न्यूनतम अंक में छूट : मोटरयान निरीक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई। पहले नियुक्ति के लिए तीन विषयों की लिखित परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45 फीसद तथा अन्य के लिए 40 फीसद अंक लाना अनिवार्य था। अब इसमें संशोधन करते हुए सामान्य वर्ग के लिए 40 फीसद, बीसी के लिए 33.5, बीसी-1 के लिए 34 तथा एससी, एसटी व महिलाओं के लिए 32 फीसद अनिवार्य किया गया है।

खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति : अब उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति हो सकेगी। इसके लिए राज्य खिलाड़ी सीधी नियुक्ति संशोधन नियमावली-2014 पर स्वीकृति प्रदान की गई। पहले गृह विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज तथा मानव संसाधन विकास विभाग में खिलाड़ियों की सीधी भर्ती होती थी। अब गृह विभाग, वन एवं पर्यावरण, उत्पाद एवं मद्य निषेध, मानव संसाधन विभाग (शारीरिक शिक्षक) तथा कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग (पीटी शिक्षक, कोच आदि) विभाग में केवल वर्दीधारी पदों पर ही इनकी सीधी नियुक्ति होगी।